झारखण्ड विधान सभा

ध्यानाकर्षण सूचना

पंचम् झारखण्ड विधान-सभा
सप्तदश (मॉनसून) सत्र

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण- सूचनायें झारखण्ड विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन के नियम- 147 के अन्तर्गत दिनांक- 31.07.2024 के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी हैं :-

क्र0सं	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
01.	02.	03.	04.
01-	श्री राज सिन्हा, स0वि0स0	झारखण्ड मिनिरल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी में वर्षो तक काम करते हुए सेवा काल में मृत कर्मचारियों के परिवार को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा रही है। उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी इसलिए नहीं मिल रही है कि वहाँ का प्रशासन यह बता रहा है कि बोर्ड का गठन नहीं है और बोर्ड का गठन होने के बाद ही नौकरी देने का कार्य किया जा सकता है। लेकिन 25 वर्षो से बोर्ड का गठन नहीं हुआ है। अनुकंपा के आधार पर नौकरी के लिए मृत्यु कर्मियों के परिवार तीन साल से लगातार धरना पर बैठें हुए हैं। बोर्ड का गठन नहीं होने का नुकसान अनुकंपा के आधार पर नौकरी पाने वाले परिवार को भुगतान पड़ रहा है। इसलिए मैं झारखण्ड मंत्रिपरिषद की बैठक में इस विषय पर शीघ्र निर्णय लेकर वर्षो से लंबित अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति करने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	नगर विकास एवं आवास

01.	02.	03.	04.
02-	श्री सरयू राय, स0वि0स0	राजस्व विभाग का संकल्प संख्या- 817/रा0, दिनांक- 22.02.2018 द्वारा शहरी क्षेत्रों में रह रहे परिवारों को 10 डिसमिल तक सरकारी भूमि आवासीय प्रयोजन हेतु लीज पर देने का निर्णय लिया गया है। विभागीय 4064/रा0, दिनांक- 25.10.2019 के द्वारा लीज बन्दोबस्ती की शक्ति उपायुक्त को प्रत्योजित की गई है। जमशेदपुर में टाटा लीज के भीतर बसे हुए बस्तियों, टाटा लीज से बाहर की गई बस्तियों एवं अन्य सरकारी बस्तियों के निवासियों ने सरकार के इस नीतिगत निर्णय के प्रति रूचि प्रदर्शित नहीं किया है। जमशेदपुर में अब तक कुल तीन आवेदन लीज देने हेतु आये हैं। उपायुक्त, पूर्वी सिंहभूम के पत्रांक- 208/एस0, दिनांक- 18.08.2009 द्वारा राजस्व विभाग को प्रेषित सर्वेक्षण के अनुसार 723 हेक्टेयर भूमि पर कुल- 14,167 परिवार आवासित हैं। इसके अतिरिक्त अनेक बस्तियों के बाशिन्दों ने भी सरकार की इस लीज नीति का लाभ नहीं लिया हैं। इनके घरों को होल्डिंग नम्बर भी नहीं मिला है। जबकि मानगो, पूर्वी सिंहभूम के इसी श्रेणी के घरों को होल्डिंग नम्बर दिया गया है। होल्डिंग नम्बर नहीं मिलने और वर्षो से आवासित परिवारों को अपने घरों का मालिकाना हक नहीं मिलने से सरकार को भी राजस्व की भारी क्षति हो रही है और आवासित भी आवश्यक कार्यवश अपने भवन की बिक्री नहीं कर पा रहे हैं। मैं सदन के माध्यम से इस गंभीर समस्या की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ और मांग करता हूँ कि सरकार राजस्व विभाग की संकल्प सं0-817/रा0, दिनांक- 22.02.2018 को विलोपित करे और इसके स्थान पर [redacted] आवासितों से उनके घरों को भूमि का वाजिब मूल्य लेकर, उनके पक्ष में बन्दोबस्त करें ताकि सरकार को अरबों रूपये का राजस्व मिल सके और लम्बे समय से आवासितों को अपने घरों का मालिकाना हक मिल सके।	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

01.	02.	03.	04.
03-	श्री संजीव सरदार, स0वि0स0 श्री निरल पुरती स0वि0स0	राज्य में भूमिज भाषा अति प्राचीन एवं द्वितीय राजभाषा के रूप में अधिसूचित है वर्ष-2012, 2013 एवं 2016 में जैक द्वारा आयोजित JTET परीक्षा में भूमिज भाषा शामिल थी वर्ष- 2014 में वनरक्षी एवं 2015 में कक्षपाल प्रतियोगी परीक्षा में भमिज भाषा शामिल थी लेकिन वर्ष 2023 में उत्पाद सिपाही, झारखण्ड नगर पालिका नियुक्ति एवं सचिवालय सहायक (सी0जी0एल0) नियुक्ति परीक्षा तथा झारखण्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा (JTET) 2024, सहायक आचार्य परीक्षा, जनजातीय/क्षेत्रीय भाषा-पत्र-2 में एवं अन्य प्रतियोगिता परीक्षा में भूमिज भाषा को हटा दिया गया है। यह प्राचीन राजभाषा से जुड़े हजारों अभ्यर्थियों/छात्रों के साथ धोखा है। अतः वर्ष 2023 से अब तक की प्रतियोगी एवं शैक्षणिक परीक्षाओं में भूमिज भाषा को पुनःशामिल करने तथा दोषियों पर कार्रवाई करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा
04-	श्री राजेश कच्छप स0वि0स0 श्री मथुरा प्रसाद महतो, स0वि0स0 श्री नमन विक्सल कोनगाड़ी स0वि0स0	दिनांक- 25.01.2011 को राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग सामुदाय के कुर्मी/हजाम/पुरान एवं अन्य सम्प्रदाय से जुड़े रैयतों/कस्तकारों/वासगीत/बण्डा पर्चाधारी के जमीन को छोटानागपुर कस्तकारी अधिनियम के तहत् अधिनियमित करते हुए अधिसूचना जारी किया गया था। अधिसूचना जारी होनेके पूर्व कुर्मी समुदाय की भूमि CNT Act 1908 के अन्तर्गत शामिल/संसीमित नहीं थी। अब एक यक्ष तथा तर्कसंगत मामला सामने है की जो दिनांक- 25.01.2011 से पूर्व कुर्मी समुदाय से जुड़े लोगों की जो भूमि बिक्री, केवाला के माध्यम से अन्य को निबंधन कर दी गई है, उक्त भूमि का नामान्तरण रोकने का	राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार

कृ0पृ030-

01.	02.	03.	04.
		कोई आधार नहीं बनता है। वह भूमि अधिसूचना की तिथि से पहले पूर्णरूपेन जनरल केटेगिरी की भूमि मानी जाती थी, तथा हजारों SALE DEED निबंधित किये गये। अब वैसी भूमि की नामान्तरण नहीं होना या स्थगित रखना लोगों के साथ नैसर्गिक न्याय नहीं होगा। अतः विषय की गंभीरता को देखते हुए भुक्त–भोगी पीड़ितों को निबंधित डिडों का नामांन्तरण उनके नाम करने की ओर आसन के माध्यम से सरकार का ध्यानाकृष्ट करता हूँ।	
05–	श्री अमित कुमार यादव, स0वि0स0 डॉ0 लम्बोदर महतो स0वि0स0	हजारीबाग जिला अन्तर्गत बरकट्ठा प्रखण्ड मुख्यालय के बगल में डिग्री महाविद्यालय, बरकट्ठा का भवन बन कर वर्ष– 2019 से तैयार है। परन्तु अध्यापन कार्य अब तक प्रारंभ नहीं किया गया है। पठन–पाठन कार्य प्रारंभ नहीं होने के कारण इस सुदूर ईलाके के छात्र–छात्राओं को उच्च शिक्षा ग्रहण करने हेतु बरही या हजारीबाग जाना पड़ता है, जिस कारण पैसे के आभाव में गरीब छात्र–छात्रा उच्च शिक्षा ग्रहण करने में असमर्थ होते हैं। अतः व्यापक लोकहित में डिग्री महाविद्यालय, बरकट्ठा में पठन–पाठन कार्य अविलंब प्रारंभ करने हेतु सदन एवं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।	उच्च एवं तकनीकि शिक्षा

राँची,
दिनांक– 31 जुलाई, 2024 ई0।

सैयद जावेद हैदर
प्रभारी सचिव,
झारखण्ड विधान सभा,राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-30/2024-3499/वि0 स0, राँची, दिनांक- 30/07/24

प्रतिः- झारखण्ड विधान सभा के मा0सदस्यगण/ मा0मुख्यमंत्री/ एवं अन्य मंत्रिगण/नेता प्रतिपक्ष/ मुख्य सचिव, झारखण्ड सरकार, राँची/ माननीय राज्यपाल के प्रधान सचिव/ लोकायुक्त के आप्त सचिव/ महाधिवक्ता, उच्च न्यायालय, राँची/ सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग/ सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग/ सचिव, कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग एवं सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/07/2024

(अनूप कुमार लाल)
उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

ज्ञाप सं0-प्र0ध्या0-30/2024-3499/वि0 स0, राँची, दिनांक- 30/07/24

प्रतिः- आप्त सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय एवं आप्त सचिव, सचिवीय कार्यालय को क्रमशः मा0 अध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव महोदय के सूचनार्थ प्रेषित।

30/07/2024

उप सचिव,
झारखण्ड विधान सभा, राँची।

सुभाष/-

30/07/24